

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा (राज0)

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2021/176/2021

दिनांक: 07.07.2021

तहसीलदार
माण्डलगढ़

विषय: पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

उनवान

1. कंचनदेवी पत्नि देबीलाल जाति खटीक निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
बनाम

1. रूपा पिता ईश्वर जाति माली निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
2. उगमा पिता ईश्वर जाति माली निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
3. देबीलाल पिता चतुर्भूज जाति माली निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
4. दुर्गालाल पिता छगना जाति माली निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
5. रतनलाल पिता जयकिशन जाति बारेठ निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
6. श्यामलाल पिता जयकिशन जाति बारेठ निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवातिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला की सरहद में स्थित खाता संख्या 83 की आराजी संख्या 1956,1956/5,1957/1,1958,1959/1,1964/1,1964/3,1985 कुल किता 8 रकबा 2.0236 बीघा भूमि की बशामलात् पडौसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/- रुपये राजकोष में जमा हो चुके हैं। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जे नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ़